



कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र.- 07751 220658

Email - actwd.gpm@gmail.com

-:: अतिथि शिक्षक भर्ती विज्ञापन ::-

क्र/1653/पीव्हीटीजी/2021-22

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 18/10/2021

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति (बैंग) आवासीय विद्यालय धनौली हेतु हिन्दी माध्यम पाठ्यक्रम अनुसार अतिथि शिक्षक (टी.जी.टी) एवं सहा.ग्रेड-03 (प्रति कालखण्ड/निर्धारित मानदेय के आधार पर) नियुक्त किया जाना है। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. आवेदन पत्र जमा करने कि अंतिम तिथि दिनांक 10.11.2021।

2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही

इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 10.11.2021 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अतिथि शिक्षक भर्ती किये जाने हेतु विषय, योग्यता, मानदेय एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

विद्यालय एवं पद का विवरण :-

क्र	विद्यालय का नाम	पद	विषय	संख्या (अनारक्षित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैंग) आवासीय विद्यालय धनौली वि.खं. गौरेला जिला-गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही(छ.ग.)	शिक्षक	हिन्दी	01
		शिक्षक	अंग्रेजी	01
		शिक्षक	गणित	01
		शिक्षक	विज्ञान	01
		शिक्षक	सा.विज्ञान	01
		सहा. ग्रेड-03	-	01

उपरोक्त दर्शित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।

अतिथि शिक्षक हेतु योग्यता :-

1. शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक एव बी.एड. की उपाधि होना अनिवार्य है।

सहा.ग्रेड-03 के पद हेतु योग्यता :-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर प्रमाण-पत्र या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि।

in

अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने हेतु मापदण्ड :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
2. यह नियुक्ति केवल शैक्षणिक सत्र 2021-22 तक के लिए होगी।
3. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थियों का चयन स्नातक एव बीएड की उपाधि में प्राप्त अंको के आधार पर बनाई गई प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।
5. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 3 अंक बोनस की पात्रता होगी।
6. सहा.ग्रेड-03 के पद पर अभ्यर्थी का चयन हायर सेकेण्डरी की परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।
7. प्रावीण्य सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अधिक उम्र के अभ्यर्थियों की चयन में प्राथमिकता दिया जावेगा।

मानदेय भुगतान :-

पद	मानदेय
शिक्षक	200 रु. प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन अधिकतम 04 कालखण्ड
सहा.ग्रेड-03	19500 रु. प्रति माह

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि शिक्षक भर्ती मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः किसी प्रकार का कोई नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरान्त संबंधित संस्था में उपस्थित होकर अध्यापन कार्य कराया जाएगा अनुपस्थित रहने पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।
2. शिक्षकों का मानदेय का भुगतान प्रति कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।
3. शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
4. प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रावीण्यता के आधार पर अतिथि शिक्षक चयनित किया जावेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अन्दर संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रावीण्यता सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को अध्यापन हेतु उपस्थित कराया जाएगा।
6. आकस्मिक अवकाश एवं शासकीय अवकाश के अलावा अन्य किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
7. अतिथि शिक्षकों का अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करना होगा।
8. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिफाफे के ऊपर आवेदित विषय का उल्लेख किया जाना होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

dw

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

-0 आवेदन पत्र का प्रारूप 0-

प्रति.

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)
पिन नं. 495117

नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदित पद का नाम एवं विषय

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) -
2. पिता/पति का नाम -
3. अ. जन्मतिथि अंको में -
- ब.शब्दों में -
4. दिनांक 01.01.2021 को आयु - वर्ष.....माह.....दिन.....
5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता -

पिन नं.

मोबाईल नम्बर.....

6. अभ्यर्थी का वर्ग -
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित -
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. क्या आवेदक जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का मूल निवासी हैं -
(यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक विवाहित है - हों/नहीं
10. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि -
11. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि -
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता -

क.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	10वी					
2	12वी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	अन्य व्यवसायिक योग्यता					

13. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है, हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति/अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	मसिक वेतन	अवधि	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6

14. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है। हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरे व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो उम्मीदवारी नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम